To Formulate Law regarding Shamlat Land

- * 57 SH. RENU BALA, M.L.A.:- Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:
 - a) whether it is fact that the farmers are cultivating on the land Deh Shamlat, Mustarka Malkan and Jumla Malkan since many years in the State;
 - b) whether it is also a fact that after the decision of the Hon'ble Court the Government has ordered to get vacated such types of land and handover it to the Panchayats;
 - c) whether there is any proposal under consideration of the Government to return the said land to the abovesaid farmers by formulating any law; and
 - d) if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER

- a) Yes Sir, some mustarka malkan land is in cultivating possession of farmers.
- b) Sir. State Government has general issued guidelines/instructions dated 21.06.2022 to **Deputy** Commissioners to implement the decision/judgment of the Apex Court. However, the said instructions have High Court vide been stayed by the order dated 04.08.2022. Accordingly, the **Deputy** Commissioners have been directed vide letter dated 05.08.2022 to comply with the orders of High Court.
- c) Legal opinion is being obtained on the matter and a proposal for amendment to the Haryana Village Common Lands Act, 1965 may be considered after taking the legal views into consideration.
- d) Question does not arise in view of (c) above.

शामलात भूमि के संबंध में कानून बनाना

*57 श्रीमती रेनू बाला (साढौरा) :

क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि

- (क) क्या यह तथ्य है कि राज्य में कई वर्षों से देह शामलात, मुस्तरका मालकान तथा जुमला मालकान की भूमि पर किसान खेती कर रहे हैं;
- (ख) क्या यह भी तथ्य है कि माननीय न्यायालय के निर्णय के पशचात् सरकार ने इस प्रकार की भूमि को खाली करवा कर इसे पंचायत को सौंपने का आदेश दिया है; तथा
- (ग) क्या कोई कानून बनाकर उपरोक्त किसानों को उक्त भूमि वापिस करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा (घ) यदि हां, तो उपरोक्त प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

श्री दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री

- क) हां श्रीमान जी, कुछ मुस्तरका मालकान भूमि किसानों के कब्जे में है।
- ख) श्रीमान जी, राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए उपायुक्तों को दिनांक 21.06.2022 को सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हालाँकि, उक्त निर्देशों पर उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2022 द्वारा रोक लगा दी गई है। तदानुसार उपायुक्तों को पत्र दिनांक 05.08.2022 द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
- ग) मामले में कानूनी राय प्राप्त की जा रही है और हरियाणा विलेज कॉमन लैण्ड एक्ट, 1965 में कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए संशोधन के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।
- घ) उपरोक्त (ग) के मद्देनजर प्रशन नहीं उठता है।
